"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 फरवरी 2014 — माघ 16, शक 1935

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–12/2013/38–1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. अनुसूची–तीन के कॉलम (3) की प्रविष्टि (दो) के सामने कॉलम (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(क) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि स्तर में संबंधित विषय में कम से कम 55% अंक अथवा 7 बिन्दु ग्रेडिंग पद्धति में ग्रेड "बी" अथवा किसी भारतीय विश्वविद्यालय या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि।

(ख) उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के बाद भी, अभ्यर्थी को यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित (मान्यता प्राप्त) समतुल्य परीक्षा जैसे कि स्लेट/सेट उत्तीर्ण करना होगा।

(ग) उप–खण्ड (क) तथा (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच.डी प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच. डी उपाधि हो या जिन्हें प्रदान की गई हो, को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के सहायक प्राध्यापक या उसके समतुल्य स्थिति के पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिये नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

(घ) ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिये नेट/स्लेट/सेट परीक्षा आयोजित नहीं की जाती हैं, के लिये नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।"

2. अनुसूची–तीन के कॉलम (3) की प्रविष्टि (तीन) के सामने कॉलम (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(क) कम से कम 55% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा खेलकूद विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समतुल्य डिग्री अथवा यू.जी.सी. 7 पाइंट स्केल में श्रेणी "बी" तथा अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो।

(ख) अन्तर–विश्वविद्यालय/अन्तर–महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय और/या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व का रिकार्ड हो।

(ग) राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा (नेट/स्लेट/सेट आदि), जो इस उद्देश्य से यू.जी.सी. द्वारा अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा जो कि यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित हो, आयोजित की गई हो ।

(घ) शारीरिक क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो।

(ङ) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच.डी प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी उपाधि हो या जिन्हें प्रदान की गई हो, को विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/संस्थान के खेल अधिकारी या उसके समतुल्य स्थिति के पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तो की अनिवार्यता से छूट रहेगी ।

(च) शारीरिक सक्षमता परीक्षा संबंधी मापदण्ड:–

(एक) उपरोक्त प्रावधानों के अध्यधीन, ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिनके लिये शारीरिक सक्षमता परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होता है, के द्वारा ऐसे परीक्षाओं में उपस्थित होने से पूर्व ऐसी चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें सत्यापित होगा कि वह चिकित्सीय रूप से स्वस्थ है।

(दो) उपरोक्त उप–खण्ड (क) के अंतर्गत ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, नीचे दिये गये मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक सक्षमता परीक्षा देना होगा:–

पुरूषो के लिए मापदण्ड			
12 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा			
30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1800 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर

महिलाओं के लिए मापदण्ड			
8 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा			
30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर

टीप– (1) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड से अभिप्रेत है :–

(एक) उच्चतर माध्यमिक – न्यूनतम 50%

(दो) स्नातक (अन्डर ग्रेजुएट) – न्यूनतम 50%

(2) यू.जी.सी. की परिवर्तन तालिका के अनुसार, प्रतिशत अंकों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जायेगा:–

श्रेणी	श्रेणी बिन्दु (पाइंट)	समतुल्य प्रतिशत
'O'- उत्कृष्ट	5.50 - 6.00	75 – 100
'A'- बहुत अच्छा	4.50 - 5.49	65 – 74
'B'- अच्छा	3.50 - 4.49	55 – 64
'C'- औसत	2.50 - 3.49	45 – 54
'D'- निम्न औसत	1.50 - 2.49	35 – 44
'E'- घटिया	0.50 - 1.49	25 – 34
'F'- असफल	0- 0.49	0 – 24

(3) (एक) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त व्यक्ति तथा दृष्टिहीन व्यक्ति के संवर्ग के व्यक्तियों को, शिक्षण संबंधी स्थानों (पदों) पर सीधी भर्ती के दौरान उनके पात्रता एवं अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के निर्धारण के उद्देश्य से, स्नातक स्तर पर तथा स्नात्कोत्तर स्तर पर 5% की छूट उपलब्ध कराई जा सकेगी। पात्रता के लिए 55% अंक (अथवा जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहां पर "पाइंट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा उपरोक्त उल्लिखित संवर्गों के लिये 5% की छूट, किसी अनुग्रह अंक के सम्मिलित करने की प्रक्रिया के बिना, केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी।

(दो) ऐसे पीएच.डी धारक, जिन्होने अपनी स्नात्कोत्तर डिग्री 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली हो, के अंको में 5% की छूट प्रदान की जायेगी जो कि 55% से 50% होगी।

(तीन) जहां पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहां संबंधित श्रेणी, जो 55% के यथा समतुल्य मानी गई हो, पात्रता समझी जायेगी।"

No. F 1-12/2013/38-1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For the entries of column (6) against the entry (ii) of column (3) of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :-

"(a) Good academic record with at least 55% marks or grade of "B" in the 7 point grading system obtained at the Master's degree level in the relevant subject from a recognized University or an equivalent degree from an Indian University or a Foreign University.

(b) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.

(c) Not withstanding anything contained in sub-clause (a) and (b), candidates, who are, or have been awarded a Ph.D. degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D. degree) Regulations, 2009 shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions.

(d) NET/SLET/SET shall also not be required for such Master's Programmes in disciplines for which NET/ SLET/SET is not conducted."

2. For the entries of column (6) against entry (iii) of column (3) of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :-

" (a) Master's degree in Physical Education or Master's degree in Sports Science or an equivalent degree with at least 55% of the marks or grade of "B" in the UGC 7 point scale and consistently good academic record.

(b) Record of representation of University/College at inter- university/inter-collegiate competitions of the State and/or representative of the State in National Championship.

(c) Qualify the National Level Test (NET/SLET/SET etc.) conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC.

(d) Passed the physical fitness test.

(e) However, candidates, who are, or have been awarded a Ph.D. degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Process for Award of M.Phil/Ph.D. degree) Regulations, 2009 shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET /SLET/SET for recruitment and appointment of Sports Officer or equivalent positions in Universities/ Colleges/Institutions.

(f) Physical fitness test norms:-

(i) Subject to the above provisions, all candidates who are required to undertake the physical fitness test shall be required to produce a medical certificate certifying that he/she is medically fit before undertaking such tests.

(ii) On production of such certificate under sub-clause (a) above, the candidate would be required to undertake the physical fitness test in accordance with the norms given below:-

NORMS FOR MEN			
12 MINUTES RUN/WALK TEST			
Up to 30 years	Up to 40 Years	Up to 45 Years	Up to 50 Years
1800 metres	1500 metres	1200 metres	800 metres

NORMS FOR WOMEN			
8 MINUTES RUN/WALK TEST			
Up to 30 years	Up to 40 Years	Up to 45 Years	Up to 50 Years
1000 metres	800 metres	600 metres	400 metres

Note- (1) Good Academic Record means:-

(i) Higher Secondary- At least 50%

(ii) Under Graduate- At least 50%

(2) As per conversion table of the U.G.C., the percentage of marks shall be converted as follows:-

Grade	**Grade Point**	**Percentage Equivalent**
'O' – Outstanding	5.50-6.00	75-100
'A' – Very Good	4.50-5.49	65-74
'B' – Good	3.50 – 4.49	55-64
'C' – Average	2.50 – 3.49	45-54
'D' – Below Average	1.50 - 2.49	35-44
'E' – Poor	0.50 – 1.49	25-34
'F' – Fail	0 – 0.49	0 – 24

(3) (i) A relaxation of 5% may be provided at the graduate and master's level for the Scheduled Caste/ Scheduled Tribe / Persons with disabilities and Persons with blindness categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic record during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above shall be given, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures.

(ii) A relaxation of 5% shall be provided, from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. Degree holders, who have obtained their Master's Degree prior to 19 September, 1991.

(iii) Relevant grade which is regarded as equivalent of 55% wherever the grading system is followed by a recognized university shall also be considered eligible."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चौधरी, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.